भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2730
(02 अगस्त,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य दिवस में वृद्धि

2730. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में राज्य और लिंग-वार कितने रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सूखे/प्राकृतिक आपदा के प्रावधान के तहत कितने राज्यों में अतिरिक्त कार्य दिवस में वृद्धि देखी गई है

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और राज्यों को क्षैतिज आवंटन के लिए केंद्रीय बजट में आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत कामगारों को भुगतान में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और भुगतान में देरी का जाति , श्रेणी-वार [अनुसूचित जाति (एस.सी.)/अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)/गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति] ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में मनरेगा के तहत भुगतान कृषि के लिए सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी निधि प्रदान की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार (सृजित श्रम दिवसों के रूप में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और महिला-पुरूष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में जिन सूखा और प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों के अलावा 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार दिया गया, उन राज्यों का ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

(ग): महात्मा गाँधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत निधियों का कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी की गई निधि
1	2017-18	48,000.00	55,167.06	55,166.06
2	2018-19	55,000.00	61,830.09	61,829.55
3	2019-20	60,000.00	71,001.81	71,687.71
4	2020-21	61,500.00	1,11,500.00	1,11,170.86
5	2021-22	73,000.00	98,000.00	98,467.85

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-।। में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार मजदूरी के भुगतान में विलंब होने पर मजदूर मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 16वें दिन के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए भुगतान न की गई मजदूरी की 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब का मुआवजा पाने के हकदार होंगे। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय-सीमा में विधिवत सत्यापन होने के बाद राज्य सरकार इस मुआवजे का भुगतान तुरंत करेगी और भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार कर्मियों अथवा एजेंसियों से मुआवजे की राशि की वसूली करेगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी घटक जारी करने हेतु सभी श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य) के लिए एक ही निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) तैयार किया जाता है।

(ङ) और (च): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इसके लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी

दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा यथा अधिसूचित यह सूचकांक विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग होता है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की परिकलित मजदूरी दर पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर से कम होती है तो पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर को जारी रखते हुए इसे सुरक्षित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से संशोधित मजदूरी दर लागू की जाती है। यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में न्यूनतम कृषि मजदूरी या अन्य न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखता है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (27.07.2022 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2730 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		सृजित श्रम दिवस (लाख में)		सृजित श्रम दिवस (लाख में)		सृजित श्रम दिवस (लाख में)		सृजित श्रम दिवस (लाख में)		सृजित श्रम दिवस (लाख में)	
		पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1	आंध्र प्रदेश	855.74	1264.51	988.64	1477.00	799.54	1202.71	1108.35	1484.89	1026.16	1391.37
2	अरुणाचल प्रदेश	27.26	15.52	42.09	26.56	51.19	34.80	75.18	52.96	88.64	70.11
3	असम	295.59	185.09	313.71	218.76	362.79	260.27	509.69	401.85	481.73	436.67
4	बिहार	436.67	380.53	595.08	638.50	625.25	790.98	1032.47	1243.80	849.07	964.36
5	छत्तीसगढ़	603.18	596.12	692.30	693.72	671.31	690.44	911.30	929.60	826.49	865.99
6	गोवा	0.21	0.78	0.04	0.11	0.08	0.26	0.26	0.84	0.20	0.75
7	गुजरात	205.71	147.38	232.76	186.86	194.07	159.63	257.95	224.34	303.62	264.41
8	हरियाणा	46.42	43.95	38.91	38.99	45.05	46.14	91.97	87.65	69.44	76.96
9	हिमाचल प्रदेश	84.54	135.51	104.78	180.42	96.56	162.63	130.94	205.26	139.67	231.28
10	जम्मू और कश्मीर	266.80	104.10	257.78	110.37	210.21	103.20	278.10	128.91	271.42	134.97
11	झारखंड	371.45	221.30	326.17	210.43	376.74	265.21	675.51	500.57	616.46	516.03
12	कर्नाटक	453.08	403.92	537.21	507.71	569.14	549.50	747.99	732.32	819.47	820.44
13	केरल	57.23	562.36	93.56	881.70	81.82	720.48	97.29	925.70	111.92	947.74
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	11.54	8.21	13.09	7.30	11.98
15	मध्य प्रदेश	1016.03	606.32	1287.73	741.54	1194.56	735.62	2035.33	1384.88	1769.91	1231.03
16	महाराष्ट्र	449.86	375.34	466.38	379.54	356.27	273.33	387.75	291.63	465.39	360.05
17	मणिपुर	33.80	27.45	61.73	55.66	119.41	114.66	158.57	171.95	145.30	160.92
18	मेघालय	155.27	136.61	170.55	171.61	183.21	187.01	186.60	197.10	194.69	198.94
19	मिजोरम	94.03	48.64	110.50	68.17	94.40	97.70	85.77	112.89	98.33	102.44
20	नागालैंड	142.36	57.45	90.82	41.87	89.14	49.34	114.72	65.40	119.11	73.47
21	ओडिशा	536.11	386.00	481.41	348.48	631.55	482.34	1149.73	931.02	1065.40	912.77
22	पंजाब	83.31	139.80	80.30	124.18	96.95	138.31	162.32	214.43	132.23	199.32
23	राजस्थान	831.15	1566.60	998.31	1944.15	1073.84	2212.71	1580.55	3024.79	1422.71	2820.31
24	सिक्किम	17.98	16.63	16.47	17.09	14.42	15.05	18.23	19.11	16.29	18.05
25	तमिलनाडु	342.13	2046.68	376.31	2200.65	340.35	2144.75	488.62	2850.84	505.03	2952.23
26	तेलंगाना	442.39	705.34	437.99	739.30	412.36	658.78	662.47	917.07	606.03	852.01
27	त्रिपुरा	93.21	82.83	136.18	116.90	182.21	161.81	229.01	208.21	224.08	202.10
28	उत्तर प्रदेश	1177.75	637.34	1372.80	748.44	1606.43	837.86	2620.16	1325.25	2046.43	1212.44
29	उत्तराखंड	101.50	121.40	99.39	122.22	89.41	116.71	136.21	167.40	108.76	134.44
30	पश्चिम बंगाल	1637.97	1487.59	1754.89	1627.64	1419.67	1303.38	2268.65	1871.52	1941.68	1700.71
31	अंडमान और निकोबार	0.77	1.14	0.71	1.23	0.90	1.31	1.18	1.43	0.53	0.61
32	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.05	0.01	0.06	0.04	0.04	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
34	पुदुचेरी	0.99	6.27	0.82	5.82	1.01	6.64	1.39	9.18	0.76	5.38
	कुल	**10860.52**	**12510.48**	**12166.34**	**14625.64**	**11997.38**	**14535.09**	**18212.48**	**20695.87**	**16474.24**	**19870.24**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

लोक सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2730 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में जिन सूखा और प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों के अलावा 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार दिया गया, उन राज्यों का ब्यौरा				
2017-2018	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**
छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कर्नाटक	कर्नाटक
कर्नाटक	गुजरात	केरल		राजस्थान
केरल	झारखंड	मणिपुर		
मध्य प्रदेश	कर्नाटक	ओडिशा		
ओडिशा	केरल	राजस्थान		
पुदुचेरी	महाराष्ट्र			
राजस्थान	ओडिशा			
	राजस्थान			
	तमिलनाडु			

लोक सभा में दिनांक 02.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2730 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (27.07.2022 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई निधि (रु.करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	4586.91
2	अरुणाचल प्रदेश	122.12
3	असम	893.26
4	बिहार	2468.59
5	छत्तीसगढ़	584.61
6	गोवा	1.73
7	गुजरात	809.26
8	हरियाणा	109.57
9	हिमाचल प्रदेश	565.97
10	जम्मू और कश्मीर	91.33
11	झारखंड	638.81
12	कर्नाटक	2903.12
13	केरल	1301.86
14	मध्य प्रदेश	2020.00
15	महाराष्ट्र	1045.21
16	मणिपुर	756.50
17	मेघालय	475.85
18	मिजोरम	151.83
19	नागालैंड	156.46
20	ओडिशा	2018.81
21	पंजाब	267.33
22	राजस्थान	4427.71
23	सिक्किम	22.45
24	तमिलनाडु	3470.36
25	तेलंगाना	1926.73
26	त्रिपुरा	330.40
27	उत्तर प्रदेश	4151.06
28	उत्तराखंड	343.71
29	पश्चिम बंगाल	0.00
30	अंडमान और निकोबार	4.61
31	लक्षद्वीप	0.00
32	पुदुचेरी	13.59
33	लद्दाख	17.23
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.81
कुल		**36,677.79**